

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक. R.S. No. - 1654 - P.R. 15

१८३८ अग्रीय

विरुद्ध

क्रमांक

तहसील

जिला

उच्ची

आयुक्त के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

जिलाध्यक्ष के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

अनुबिभागीय पदाधिकारी के कार्यालय का प्रकरण क्रमांक.

तहसील का प्रकरण क्रमांक.

बाद का विषय

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण यहां प्रस्तुत हुआ है

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
आयुक्त संभाग / जिलाध्यक्ष, जिला के मूल / अपीलीय आदेश दिनांक. 16.6.15 के विरुद्ध श्री के अभिभावक द्वारा अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन-पत्र प्रस्तुत किया गया जो पंजीबद्ध किया जा चुका है।  पुनरावलोकन अवधि बाह्य है/ नहीं है/ मुद्रांक शुल्क पूर्ण है/ रु. की कमी है। आदेश, जिसके विरुद्ध यह अपील/पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन है, की प्रतिलिपि संलग्न है/ नहीं है। अपील/ पुनरीक्षण/ पुनरावलोकन की प्रतियां दी गई हैं/ नहीं दी गई हैं। आव्हान शुल्क दे दिया है/ नहीं दिया है।	R.K.T. 15	<i>R.K.T. 15</i>

17.6.2015

आवेदक की ओर से श्री आर० कौ०  
प्रस्तुतकार  
त्रिवाली आवेदन उपायित। तर्क द्वारे गया।  
अनुपायिति का कारण समाधान कारक  
होने से मूल प्रकार पुनरस्थापित  
किया जाना है। इस प्रकार मैं  
कोई कार्यवाही शोष नहीं होने से  
समाप्त किया जाता है।

Noted

16.9.2015

*R.K.T. 15*

अध्यक्ष

पौछे देखिये

निगरानी क्र० : 2071पीबीआर/2013  
क्र० १६५४-९ BR-१५ पेशी दिनांक : 16-06-2015

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, गवालियर के समक्ष ।

अब्दुल्लमजीद पिता स्व.श्री अब्दुल इक्कूर --- प्रार्थी  
चिठ्ठी

म.प्र.शासन व अन्य --- प्रतिप्रार्थीगण

आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा ३५ ॥३॥ म.प्र.भ. राजस्व संहिता ।

